

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी  
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:-452/2019

विरेन्द्र कुमार बेनीवाल पुत्र श्री राधेश्याम जाति जाट निवासी नाईवाला तहसील टिब्बी  
जिला हनुमानगढ।  
वादी

बनाम्

1. राधेश्याम पुत्र हेतराम } जाति जाट निवासी नाईवाला तहसील टिब्बी जिला  
2. महावीर पुत्र हेतराम } हनुमानगढ।  
3. हेतराम पुत्र निकुंजराम }

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री करनैल सिंह प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि हेतराम के नाम से चकनं 9 सीडीआर के खाता सं 207/142 में कुल 1.928 है 0 कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं 9 सीडीआर के खाता सं 207/142 मे से हेतराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा  
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....  
.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 24.1.2020 को जारी किया गया।



( मीनू वर्मा )

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी